बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 5

03 चैत, 1939 (श.)

शुक्रवार, तिथि ----------

24 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 31

1.	शिक्षा विभाग	....	....	27
2.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	....	....	02
3.	खान एवं भूतत्व विभाग	....	....	02

			कुल योग –	**31**

वेतन भुगतान कबतक

अ* 223. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य से संबद्धता प्राप्त वित्तरहित इंटर कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों का वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अनुदान की राशि जांच के नाम पर रोक कर रखी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी संबद्धता प्राप्त वित्तरहित इंटर कॉलेजकर्मी, चाहे शिक्षक हों या शिक्षकेतर कमिर्यों को वेतन/अनुदान स्वीकृति के बाद ही मिलता है, जिसका मापदंड इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेजों के परीक्षाफल से होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के सभी संबद्धता प्राप्त इंटर कॉलेजों/डिग्री कॉलेजों के कर्मी को भुखमरी से बचाने के लिए उनके वेतन का भुगतान करने का सरकार विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

भवन की मरम्मति

* 347. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण मोतिहारी शहर स्थित मेन रोड, मोतिहारी में शहर का गौरव नवयुवक पुस्तकालय का निर्माण 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराया गया था, जिसका बाद के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री, डा. श्रीकृष्ण सिंह ने उद्घाटन किया था;

(ख) क्या यह सही है कि इसके निर्माण में शहर के गणमान्य व्यक्तियों यथा गंगा प्रसाद चौधरी, सत्यदेव प्रसाद चौधरी, यमुना प्रसाद साह, राजेन्द्र नाथ वर्मा, अधिवक्ता, राजेन्द्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता, चीफ इंजीनियर रामेश्वर दत्त, तारकेश्वर प्रसाद इत्यादि व्यक्तियों के सहयोग से नवयुवक पुस्तकालय के निर्माण काल से लगभग 40-50 वर्षों तक संचालित किया जाता था;

(ग) क्या यह सही है कि नवयुवक पुस्तकालय में 11 कट्ठा 14 धुर जमीन है जिस पर नगर परिषद्, मोतिहारी द्वारा लगभग 10-15 वर्षों तक बिना नियम के ताला लगा दिया गया था और उसमें विभिन्न प्रकार के बाजारों को लगाकर अवैध कमाई की जाती रही जो नगर परिषद्, मोतिहारी के चेयरमैन सहित कर्मचारियों की जेब भरने का काम किया तथा नवयुवक पुस्तकालय की जमीन को अतिक्रमण कर कार पार्किंग बनाकर अवैध रुपये की उगाही की जाती है;

अ* दिनांक 17 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो नवयुवक पुस्तकालय, मोतिहारी, जो शहर का गौरव था, जिसमें पुस्तकालय सहित कैरम प्रतियोगिता, टेबल टेनिस प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता, मुशायरा सह कवि सम्मेलन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसका भवन जर्जर स्थिति में हो गया है, उसको सरकार तत्काल मरम्मत कर नये सिरे से नवयुवक पुस्तकालय का निर्माण कराकर शहर के गौरव को लौटाना चाहती है ?

कानून का कार्यान्वयन

***** 348. **श्री मंगल पांडेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2011 के अंतर्गत समूचे बिहार के सरकारी/निजी स्कूल के लिए लागू किया गया है, जिसमें सभी गरीब बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि इस नियम के अंतर्गत सभी बड़े निजी स्कूलों में भी गरीब छात्रों को नामांकन लेने की व्यवस्था की गई है, परन्तु नियम लागू होने के बाद भी अभी तक मात्र 239 स्कूल में कुल छात्रों का नामांकन हो पाया है जबकि बिहार में कुल दस हजार से ज्यादा निजी स्कूल हैं जिनमें मात्र 100 से भी कम गरीब छात्रों का नामांकन हो पाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शिक्षा के अधिकार कानून 2011 के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए दबाव देकर नामांकन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अधूरे भवन का निर्माण

***** 349. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के कन्हाईपुर राजकीय मध्य विद्यालय में भवन निर्माण मद की पूरी राशि मिलने के बाद भी भवन का कार्य अधूरा है;

(ख) क्या यह सही है कि 26.00 लाख की लागत से बनने वाले भवन के लिए 23 जून, 2016 को 6.75 लाख रुपये की अंतिम निकासी कर ली गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का कार्य पूर्ण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

स्थानांतरण एवं वेतनमान

***** 350. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कार्यरत नियोजित शिक्षकों को अन्य सेवकों की भांति वेतनमान दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत लगभग साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान नहीं किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वेतन दिए जाने के बावजूद सहायक शिक्षक की बजाय वे नियोजित शिक्षक ही कहे जाते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि योग्यता एवं कार्य की अवधि एकसमान रहने के बाद भी पद एवं वेतनमान में असमानता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त में अन्तरप्रखंड एवं अन्तरजिला स्थानांतरण की सुविधा का प्रावधान कर संशोधित एवं समान वेतनमान लागू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कालबद्ध प्रोन्नति कबतक

***** 351. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में विश्वविद्यालय परिनियमित निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित वेतन पा रहे शिक्षकों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के विरुद्ध सेवा के नियमितीकरण की तिथि की मान्यता नहीं देते हुए वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा इन शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदावनत कर वेतन निर्धारण किया गया है और वेतन भुगतान का आदेश विश्वविद्यालय को भेजा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय द्वारा चतुर्थ चरण के सभी शिक्षकों को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सेवा का नियमितीकरण की तिथि से कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का विचार रखती है?

धरोहर संग्रहालय में कबतक

***** 352. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अनेक देश/प्रदेश अरबों रुपये खर्च कर अपनी धरोहर को बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन पुरातत्व का धनी बिहार अपनी धरोहर को नहीं बचा पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि आर्ट एंड ट्रेजर्स 1972 ऐक्ट के तहत धरती के अंदर से निकली हुई किसी मूर्ति को थाने में नहीं रख सकते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के थानों में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई हैं एवं उचित देखभाल के अभाव में वह नष्ट हो रही हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के थानों में बंद पड़े धरोहरों को संग्रहालय में रखना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

उत्तर - (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि सरकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व एवं संस्कृति निदेशालय के अंतर्गत संग्रहालयों एवं पुरातात्विक अन्वेषण एवं उत्खनन के माध्यम से राज्य की समृद्ध विरासत के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न भागों में खेती, निर्माण आदि के क्रम में खुदाई से अचानक उद्घाटित या प्राप्त पुरावशेष/प्राचीन कलाकृतियों का एन्टिक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 की धारा 19, 20 तथा 33 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से तत्काल अधिग्रहण संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी का दायित्व है। मंदिरों में स्थापित और पूजित मूर्तियां, एन्टिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि बिहार आरक्षी हस्तक 1978 खंड-1 के नियम 307 में प्रावधानित किया गया है कि 'पुरावशेषों की सुरक्षा की दृष्टि से जब किसी पुरावशेष के संबंध में अन्वेषण या विचारण हो रहा हो या वह दावा रहित पाया जाए या किसी केस के अन्वेषण के दौरान मिले, वैसी हालत में उसे पटना स्थित राज्य संग्रहालय या निकटतम सरकारी संग्रहालय में निरापद ढंग से रखा जाएगा।' उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में यह संबंधित थाने का दायित्व है कि पुरावशेष/कलाकृतियों को थाने के मालखाने में न रखकर, निकटस्थ सरकारी संग्रहालय को उपलब्ध करा दें' राज्य के प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को उनके जिला अंतर्गत थाने/मालखाने में रखे पुरावशेष/प्राचीन कलाकृतियों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है पुलिस अधीक्षक, बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण (बेतिया) से सूचना प्राप्त हुई है कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्रियों से संबंधित सूचना उनके जिले के थानों में शून्य है।

(घ) समय-समय पर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा थाने/मालखाने में रखी प्राचीन कलाकृतियों की प्राप्ति हेतु सम्पर्क किया गया है।

शिक्षकों की नियुक्ति

***** 353. **श्री केदार नाथ पांडेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ पांच शिक्षकों का नियोजन किया गया है और संस्कृत विषय के शिक्षकों का नियोजन नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक कार्यरत हैं, इससे माध्यमिक शिक्षकों में असंतोष है;

(घ) क्या यह सही है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कोई प्रबंधन की नीति नहीं है, जिससे वित्तीय मामलों का संपादन समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरने, विद्यालयों में प्रबंधन की नीति बनाने तथा प्रधानाध्यापक पद पर माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ

***** 354. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण देने की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना 2 अक्टूबर, 2016 से लागू है एवं वर्ष 2016-17 में 5 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ देने का लक्ष्य है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त के लिए अभी तक मात्र चार हजार आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जो लक्ष्य के सामने बहुत कम हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना का लाभ गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

फारसी शिक्षक की बहाली

***** 355. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मूल विषय फारसी एवं माध्यमिक विद्यालयों में सातवें ऐच्छिक विषय फारसी के शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) इन विषयों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं;

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा इसे कबतक पूरा कर लिया जाएगा ?

खाली पदों पर नियुक्ति

***** 356. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद लगभग खाली हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन कर्मियों के अभाव में लेखा के संधारण, योजनाओं के कार्यान्वयन और विद्यालयों की सुरक्षा का काम बाधित हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीयकृत विद्यालयों में उक्त कोटि के खाली पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा

***** 357. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 16 विश्वविद्यालय, 262 अंगीभूत महाविद्यालय, 07 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, 09 चिकित्सा महाविद्यालय, 08 कृषि महाविद्यालय सहित कुल 312 संस्थानों में नि:शुल्क वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि यह सही है तो अभी तक राज्य में कितने संस्थानों को नि:शुल्क वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को अभी तक वाई-फाई इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी संस्थानों को वाई-फाई इंटरनेट से जोड़ने का विचार रखती हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विद्यालय में भवन का निर्माण

***** 358. **श्री सच्चिदानंद राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत प्रखंड मढ़ौरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हसनपुरा में कमरों की संख्या दो है जिसमें एक से पांच वर्गों तक की पढ़ाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है जिससे वर्षा की संभावना को देखकर छुट्टी कर दी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालय में कमरों की संख्या बढ़ाने हेतु भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई

***** 359. **मो. कमर आलम** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बालू खदानों में अवैध खनन एवं चालान का अवैध प्रयोग करने पर विभाग ने एक जांच कमिटी का गठन किया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने विभाग को अपना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि किशनगंज में अवैध खनन एवं चालान पर गठित विभागीय जांच कमिटी की जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है, यदि हां तो कबतक ?

विद्यालय का निर्माण

***** 360. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकारी नियमानुसार प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल होना अनिवार्य है। नालंदा जिलान्तर्गत कतरीसराय प्रखंड के बिलारी पंचायत के ग्राम बिलारी में हाई स्कूल के लिए पर्याप्त भूखंड है एवं पंचायत की आम सभा द्वारा भी पारित है तथा यह ग्राम-बिलारी पंचायत के मध्य में स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रासंगिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव उक्त पंचायत के सबसे सुदूरवर्त्ती गांव पलटपुर, जो कि उच्च विद्यालय, कटौना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, विभाग को प्राप्त कराया जा चुका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'ख' में अंकित स्थान का गलत प्रस्ताव देने वाले पदाधिकारी पर नियम संगत कार्रवाई करते हुए खंड 'क' के विद्यालय को स्वीकृति देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रोन्नति कबतक

***** 361. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विभाग में अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी को बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-II में प्राधिकृत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी को 9-10 वर्षों से उच्चतर पद पर प्राधिकृत करने के बावजूद भी प्रोन्नति नहीं दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 के प्रभाव से बिहार शिक्षा के वर्ग-II यथा- संग्रहालयाध्यक्ष के पद पर रिक्त पद के विरुद्ध 50-50 प्रतिशत के अनुपात में नियुक्ति की गई थी तथा 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति हेतु रिक्त रखा गया था;

(घ) क्या यह सही है कि वर्तमान में नयी नियमावली पुरातत्व एवं संग्रहालय 2014 के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है जिसमें 2008 से प्रोन्नति की प्रत्याशा में प्राधिकृत रहने के बाद भी नवनियुक्त पदाधिकारी कनीय होते जा रहे हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पुरातत्व एवं संग्रहालय में प्रोन्नति की प्रत्याशा में 2008 से कार्यरत पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।
अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की 50 प्रतिशत के आधार पर प्रोन्नति हेतु वर्ष 2007 में कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी एवं सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस कराया गया था। रोस्टर में कतिपय त्रुटि रहने के कारण पुन: वर्ष 2013 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित रोस्टर क्लियरेंस किया गया। संशोधित रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11218, दिनांक 12.08.2014, के द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने के कारण कार्रवाई बाधित रही।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-4800, दिनांक 01.04.2016 के द्वारा प्रोन्नति पर रोक समाप्त कर दी गई है। तदोपरांत संग्रहालयाध्यक्ष वर्ग-II पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशंसा प्राप्त कर विभागीय पत्रांक-1169, दिनांक 19.12.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि के निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली-2014 जो दिनांक 11.07.2014 से प्रवृत्त है, के प्रावधानों के आलोक में 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति तथा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरा जाना है।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि नियमावली लागू होने के पूर्व 50-50 प्रतिशत के आधार पर प्रोन्नति की प्रक्रिया अपनायी जा रही थी, परंतु प्रोन्नति की कार्रवाई नयी नियमावली दिनांक 11.07.2014 से प्रवृत्त होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्शोपरान्त वर्तमान नियमावली के अनुरूप प्रोन्नति की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की नियमावली निष्प्रभावी हो जाने के चलते अब 50 प्रतिशत प्रोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) वस्तुस्थिति कंडिका 'घ' में स्पष्ट दी गई है।

विद्यालय का उत्क्रमण

***** 362. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सैदपुर प्रखंड का लालपुर मध्य विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिवर्तित होने की सभी औपचारिक शर्तों को पूरा करता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के उत्क्रमण का औपचारिक प्रस्ताव विभाग में लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त विद्यालय के उत्क्रमण का आदेश शीघ्र निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बंदोबस्ती कबतक

***** 363. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बांका जिलान्तर्गत चान्दन नदी से बालू का उठाव नियम विरुद्ध किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि चान्दन नदी में बंदोबस्ती घाटों की मापी नहीं होने के कारण पूरी नदी से बालू का उठाव किया जा रहा है तथा जिस घाट की नीलामी भी नहीं हुई है, वहां से भी संवेदक द्वारा भारी मात्रा में बालू का उठाव किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि बांका जिले में बालू उठाव करने हेतु संवेदक द्वारा नदी में सड़क निर्माण कर बालू का खनन किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि जिले में बालू लोड ट्रक से पानी गिरने के कारण जिले में ग्रामीण तथा मुख्य नई सड़कें बनती हैं पर कुछ ही समय में ग्रामीण तथा मुख्य नई सड़कें गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बांका जिलान्तर्गत चान्दन नदी से नियमानुसार सभी घाटों की बंदोबस्ती के आलोक में ही संवेदकों द्वारा बालू उठाव कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 395/गो., दिनांक 07.03.17 द्वारा सूचित किया गया है कि बांका जिलान्तर्गत चान्दन नदी से बिहार लघु खनिज समनुदान

नियमावली-1972 (यथा संशोधित 2014) के नियमों तथा SEIAA के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करते हुए बालू का उठाव किया जा रहा है।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि स्वीकृत बालूघाटों की मापी कर सीमांकित कर बालूघाटों के चारों कोना पर सीमा स्तम्भ लगावा दिया गया है।
बांका जिला के चान्दन नदी में खनन योजना के अनुसार कुल सृजित बालूघाट 20 हैं, जिनके विरुद्ध SEIAA, बिहार से चान्दन नदी के 13 बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 12 बालूघाटों के विरुद्ध कार्यादेश निर्गत है, जिससे बालू का उठाव एवं प्रेषण वैध रूप से किया जाता है। संवेदक के द्वारा सीमांकित बालू क्षेत्र से ही बालू का उठाव किया जा रहा है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि बालूघाट बंदोबस्ती के द्वारा बालूघाटों से बालू के परिवहन हेतु मार्ग का निर्माण विभागीय अधिसूचना सं. 2214/एम., दिनांक 27.08.2013 द्वारा निर्गत 'नई बालू नीति' के परिशिष्ट-1 की कंडिका-7(i) 'बंदोबस्तधारी को क्षेत्र/क्षेत्रों का निरीक्षण एवं घाटों का संचालन स्वयं एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से करना होगा, नदी/घाट से बालू के परिवहन हेतु मार्ग का निर्माण स्वयं कराना होगा, के आलोक में कच्चे रास्ते का निर्माण किया गया है।

(घ) वस्तुस्थिति यह है कि ओवरलोड वाहनों पर जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका/मोटरयान निरीक्षक, बांका एवं Enforcement SI के साथ अभियान चलाकर सरकारी संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-378/गो. दिनांक 05.03.2017 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बांका एवं धोरैया तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1 एवं 2 बांका को निदेशित किया गया है।

(ङ) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 364. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती रंजना कुमारी नियोजित शिक्षिका, मध्य विद्यालय, भनरा प्रखंड, कटोरिया, जिला-बांका जून, 2013 से गंभीर रूप से बीमार हो गयीं तथा उन्हें लगातार दो वर्षों तक गहन चिकित्सा करवानी पड़ी है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती रंजना कुमारी ने विद्यालय के प्रधान को विधिवत इसकी सूचना दी थी तथा स्वस्थ होकर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने आयी तो नियोजन इकाई द्वारा योगदान नहीं कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि श्रीमती रंजना कुमारी ने अपने योगदान आवेदन के साथ अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका ने अपने ज्ञापांक-3521, दिनांक 19.12.2015 के द्वारा प्रखंड नियोजन इकाई, कटोरिया को योगदान कराने का आदेश भी दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती रंजना कुमारी को योगदान कराकर उनके बकाया वेतन आदि का भुगतान तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आश्रितों को न्याय

***** 365. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के नियमित शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ नहीं दिया जा रहा है और कई आवेदक वर्ष 2011 से इस हेतु दर-दर भटक रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अन्य जिलों में इसके लिए कार्रवाई की गई परंतु मधुबनी जिला के शिक्षा विभाग के कार्यालय में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के कारण लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला में लंबित ऐसे सभी आवेदनों का निष्पादन करना चाहती है और इस कार्य में हुई देरी एवं भ्रष्टाचार की जांच कमिश्नर, दरभंगा से करवाकर दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति

***** 366**. डॉ. रामवचन राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य का एकमात्र पुराना और प्रतिष्ठित पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है;

(ख) क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय में कोई स्थायी प्राचार्य नहीं हैं और चार-पांच वर्ष पूर्व में नियुक्त एक कनीय शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध छात्रों की लंबी हड़ताल चली थी और कई महीनों तक कॉलेज बंद था;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय में सरकार कबतक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करना चाहती है?

पठन-पाठन कब से

***** 367. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पांच निजी विश्वविद्यालय को 2014 में 10 लाख शुल्क के आधार पर निबंधित किया था;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट 2015 में आ गई थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ कराना चाहती है ?

पेयजल एवं चहारदीवारी का निर्माण

***** 368. **श्रीमती नूतन सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के नगर परिषद् अन्तर्गत बालिका उच्च विद्यालय, पूरब बाजार में लगभग 650 (छः सौ पचास) छात्राएं पढ़ती हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में पेयजल एवं चहारदीवारी की व्यवस्था नहीं रहने से छात्राएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्राओं की परेशानी को देखते हुए पेयजल एवं चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

संलिप्त पर कार्रवाई

***** 369. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज समदा में वर्तमान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक नियोजन, 2008 के अंतर्गत फर्जी ढंग से शिक्षकों का नियोजन किया था;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त फर्जीवाड़े का जांच प्रतिवेदन पत्रांक-466/013 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराया था;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व पंचायत सचिव के नाम पर फर्जी पत्र बनाकर जिसका फर्जी पत्रांक-112, दिनांक 01.10.2015 अंकित कर पंचायत सचिव का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी शिक्षक सरदार संजय सिंह तथा शालिनी कुमारी का एकमुश्त वेतन के मद में नौ लाख रुपये का भुगतान किया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि दिनांक 27.07.2013 को ग्राम-देउरी, प्रखंड-बेनीपट्टी निवासी श्री विजय झा ने उक्त फर्जीवाड़े के संबंध में जिला पदाधिकारी, मधुबनी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को भी निबंधित डाक के माध्यम से सूचित किया था;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पंचायत शिक्षक नियोजन, 2008 के उक्त फर्जीवाड़े में संलिप्त पदाधिकारियों एवं शिक्षक कर्मियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पदों पर प्रोन्नति

***** 370. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-11/नि. 01/2010/403, दिनांक 17.08.2010 के द्वारा विद्यालय सेवा बोर्ड, पटना की अनुशंसा पर वर्ष 1995 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को बी.टी अर्हता पर प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के योग्य माना गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 तक विद्यालय सेवा बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय सेवा बोर्ड की अनुशंसा पर नियुक्त सभी शिक्षकों (बी.टी. प्रशिक्षित) को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

वेतनादि का भुगतान

***** 371. **श्री सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सचिव से लेकर अनुसेवक तक सभी सचिवीय-वृंद को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रतिमाह वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के सभी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे-बच्चियों के भविष्य निर्माण में लगे प्रधानाध्यापकों सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च, 2016 से अबतक वेतनादि का भुगतान संबंधित सक्षम पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सक्षम पदाधिकारीगण राज्य के बच्चे-बच्चियों को शिक्षित करने के प्रति गंभीर रूप से 24 घंटे प्रतिदिन व्यस्त रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्तृत रूप से बताना चाहती है कि किस परिस्थिति में बिहार राज्य के सभी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके द्वारा बच्चे-बच्चियों के शिक्षण कार्य पूरा करने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्च, 2016 से अबतक वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और वे वेतन के अभाव में किस प्रकार अपना जीवन बिता रहे हैं?

समिति का पुनर्गठन

***** 372. **डॉ. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार गजट (असाधारण अंक) पटना, दिनांक 14 नवंबर, 2013 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के सचिव के अध्याय 5 (पांच) की धारा-17 के तहत बिहार के प्रत्येक अनुदानित मा.वि./उच्च विद्यालय में दान दाता को या उनकी सहमति से अध्यक्ष बनाना है;

(ख) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के ग्राम बिर्रा भगवानपुर, अंचल-मखदुमपुर के ग्रामीणों द्वारा अनुदानित कन्या उच्च विद्यालय (कोड-84509) में नियम के विरुद्ध मनमाने ढंग से विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि दानदाता के उत्तराधिकारी के जीवित रहते विद्यालय से दूर रहनेवाले बाहरी व्यक्तियों को प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रबंध समिति में शामिल कर लिया गया है जिससे विद्यालय का विकास ठप्प है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली के आलोक में कार्रवाई करते हुए उक्त विद्यालय में दानदाता सदस्य के परिवार को शामिल करते हुए प्रबंधक समिति को पुनर्गठित करेगी, यदि हां तो कबतक?

मैथिली की पढ़ाई

***** 373. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग में मैथिली विषय रखकर प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

***** 374. **श्री हरिनारायण चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं मिड डे मिल योजना प्रभारी शिक्षक की सांठगांठ से सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने की खबरें आ रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जो बच्चे डी.ए.वी. या अन्य निजी विद्यालयों में नामांकित हैं अथवा राज्य के बाहर फिटजी या अन्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मिड डे मिल योजना की राशि सरकार से मांग ली जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार का स्पष्ट मार्गनिर्देश है कि जो बच्चे विद्यालय में नियमित नहीं आते हैं अथवा जिनकी हाजिरी का प्रतिशत कम है, उन्हें इस योजना से आच्छादित नहीं किया जाएगा;

(घ) क्या यह सही है कि ऐसे घोटालों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय की सहभागिता भी सामने आई है और यही कारण है कि पर्यवेक्षण के स्तर पर ढिलाई बरती जा रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नमूना के तौर पर चिरैया प्रखंड की राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, महुआबा की जांच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

भवन का निर्माण

***** 375. **श्री आदित्य नारायण पांडेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिले के दरौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कृष्णपाली के भवन निर्माण के कार्य का करार हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि करार के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं होने से भवन के अभाव में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना की निधि से कराया जाना है जो कि उपलब्ध है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराना चाहती है ?

शिक्षकों की नियुक्ति

***** 376. **श्री अर्जुन सहनी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आई.सी.टी. स्कूल प्रोजक्ट योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 से 12 के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है;

(ख) क्या यह सही है कि बी.एस.ई.आई.डी.सी. (बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से निविदा पर नियुक्त कम्प्यूटर शिक्षकों द्वारा इन छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि निविदा पर कार्यरत इन सभी कम्प्यूटर शिक्षकों का अनुबंध वर्ष 2017 में समाप्त हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके अनुबंध के नवीकरण अथवा इनके समायोजन या कार्यानुभव के आधार पर शिक्षक नियोजन में अधिमानता देकर इन्हें नियुक्ति हेतु अवसर देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 24 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्